| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.08.2020 | प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित। प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि प्रार्थीगण नें लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अप्रार्थीगण के साथ राजीनामा कर लिया है। प्रार्थीगण इस वाद पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः पत्रावली को पेशी में लिया जाकर दाखिल दफ्तर किये जानें के आदेश फरमावे।<br><br>प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहनें के कारण प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212/आर.टी.ए. को वर्तमान स्तर पर पर खारिज किया जाता है।<br><br>पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल वाद संख्या 364/2018 अनवानी कुरशैदा बनाम हाजीखां के साथ संलग्न हो।<br><br>(कपिल यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी एवम्<br>पदेन सहायक कलक्टर<br>हनुमानगढ़ | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.09.25 10:01:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner